लोक सेवा आयोग
मध्य प्रदेश

क्रमांक 01/46/2003/लेखा   दिनाँक :— 21.04.2017

सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था हेतु निविदा (संक्षिप्त विज्ञप्ति)

01. आयोग कार्यालय में निजी सुरक्षा गार्ड (17 गार्ड, जिसमें 02 महिला गार्ड भी सम्मिलित है) की सेवाएँ प्रदान करने हेतु पंजीकृत एजेंसियों से निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 12.05.2017 तक निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

02. निविदा प्रपत्र तथा अनुबंध की शर्तें आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com अथवा www.mppsc.nic.in पर देखी/पढ़ी जा सकती है एवं निविदा शुल्क के रूप में राशि रूपये 500/— (रूपये पाँच सौ मात्र) का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट, जो कि सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पक्ष में देय हो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त की जावेगी। नगद राशि स्वीकार नही की जावेगी।

03. इच्छुक निविदाकर्ता सुरक्षा गार्ड की सेवाएँ प्रदाय करने हेतु निविदाएँ डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर, के पते पर दिनांक 12.05.2017 को सायंकाल 05:00 बजे तक जमा किये जा सकेंगे।

04. प्राप्त निविदाएँ दिनांक 17.05.2017 को दोपहर 12:00 बजे आयोग कार्यालय में खोली जावेगी।

20.4.17

अनुभाग अधिकारी (भण्डार).

आयोग कार्यालय एवं बंगला कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के लिए सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था हेतु निविदा

निविदा प्रपत्र भरने के सामान्य निर्देश :-

निविदा निम्नानुसार भरी जायेगी :-

a) प्रथम लिफाफा – (लिफाफे के ऊपर धरोहर राशि स्पष्टतः लिखा जावें)
b) द्वितीय लिफाफा–तकनीकी बिड (लिफाफे के ऊपर तकनीकी बिड स्पष्टतः लिखा जावें)
c) तृतीय लिफाफा–वित्तीय बिड (लिफाफे के ऊपर वित्तीय बिड स्पष्टतः लिखा जावें)

तीनों लिफाफे एक बड़े सील बंद लिफाफे में रखें जायेगें बड़े लिफाफे के उपर स्पष्ट अक्षरों में ''आयोग कार्यालय एवं बंगला कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था का अनुबंध हेतु कोटेशन'' लिखा जावे तथा विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से दिनांक 12.05.2017 समय सांयकाल 05:00 बजे तक म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर की लोकड् टेंडर बॉक्स मे जमा करना होगा । समयावधि पश्चात् निविदा प्रपत्र प्राप्त नहीं किये जावेंगे । प्राप्त निविदा प्रपत्र दिनांक 17.05.2017 को समय दोपहर 12:00 बजे आयोग द्वारा गठित समिति के सदस्यों एवं निविदाकर्ता/प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे । निविदाकर्ता अथवा उनके केवल एक प्रतिनिधि ही इस कार्य के लिए उपस्थित रहेंगे । धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क सही पाई जाने पर ही तकनीकी बिड खोली जावेगी तथा धरोहर राशि अथवा निविदा शुल्क नहीं पाई जाने/सही नही पाई जाने पर निविदा निरस्त की जावेगी।

01 प्रथम लिफाफा – प्रथम लिफाफे के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि की रूपये 500/– की डी.डी. जो कि सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इदौर के पक्ष मे देय हो तथा धरोहर राशि के रूप में रूपये 40,000/– (रू. चालीस हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट जो कि सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इदौर के पक्ष मे देय हो संलग्न करना होगा। बिना उक्त शुल्क व धरोहर राशि के निविदा अमान्य कर दी जावेगी। नगद राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।

02 द्वितीय लिफाफा –आयोग द्वारा निर्धारित तकनीकी प्रारूप प्रपत्र–1 में तकनीकी निविदा प्रस्ताव तथा चेकलिस्ट अनुसार हस्ताक्षर व पदमुद्रा सहित सबंधित समस्त दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र।

03 तृतीय लिफाफा – आयोग द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रारूप प्रपत्र–6 में वित्तीय निविदा प्रस्ताव।

04 आयोग द्वारा गठित तकनीकी समिति के सदस्यों एवं निविदाकर्ता अथवा निविदाकर्ता के प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 17.05.2017 को समय दोपहर 12:00 बजे निविदा खोली जायेगी। प्रथम लिफाफा खोले जाने के पश्चात् सही पाए जाने पर द्वितीय लिफाफा समिति के समक्ष खोला जावेगा। द्वितीय लिफाफे तकनीकी रूप से पात्र पाये जाने पर ही तृतीय लिफाफा अर्थात वित्तीय प्रस्ताव खोले जायेंगे। तृतीय लिफाफा अर्थात् वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने की सूचना निविदाकर्ता को पृथक से दी जावेगी।

05 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा प्राप्ति दिनांक से 120 दिनों के लिए वैध होगी।

06 निविदा करने के पश्चात् कोई परिवर्तन या संशोधन मान्य नहीं होगा।

07 विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

08 निविदाकर्ता द्वारा बिड वापस नहीं ली जावेगी अन्यथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

09 वित्तीय निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की ओवर राईटिंग/काट छांट होने पर निविदा स्वीकार नही की जायेगी। अन्य प्रपत्रों में काट छाट या ओवर रायटिंग होने पर हस्ताक्षर एव पदमुद्रा होना आवश्यक होगा।

10 निविदा प्रपत्र तथा प्रमाण पत्र आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी। निविदा शर्तो के अनुसार अथवा

संलग्न प्रारूप में नहीं भरी होने पर अथवा अधूरें भरे हुये निविदा प्रपत्र मान्य नही किए जायेगें।

11 निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् सफल निविदाकार को 07 दिवस के भीतर परफारमेंस गारंटी के रूप में संविदा के वार्षिक मूल्य की 10 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी. के रूप में प्रस्तुत करना होगी, व अनुबंध करना होगा। यह एफ.डी. वारंटी बाध्यताओं सहित आपूर्तिकर्ता की सभी संविदाकृत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख के बाद 60 दिन की अवधि तक के लिए वैध होना आवश्यक है एवं जब तक उसके लंबित बिलों का निपटान नही हो जाता तब तक के लिये आयोग के पास जमा रहेगी। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। यदि सफल निविदाकार उक्त शर्तो का पालन करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी एवं अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा ।

12 यह अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए है। सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रथम एक वर्ष तक उपलब्ध करायी गयी सेवा संतोषप्रद होने की स्थिति में ही निविदा अवधि की निरंतरता की स्वीकृति पूर्व में आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर एक–एक वर्ष के लिए अधिकतम 03 बार अथवा आगामी निविदा होने तक बढाई जा सकेगी। निविदा की शर्ते अनुबंध का अभिन्न अंग होगी। निविदा के नवीनीकरण की स्थिति में परफारमेंस गारंटी का नवीनीकरण किया जाना होगा।

13 वित्तीय निविदा समस्त दरो व करों सहित भरी जावेगी पृथक से कोई चार्जेस देय नहीं होगे।

1.2 कार्यक्षेत्र, कार्यो का विवरण व अनुबंध की शर्ते :–

01 आयोग कार्यालय एवं बंगला कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था किये जाने हेतु न्यूनतम 17 सुरक्षा गार्डो, जिसमें 02 महिला सुरक्षा गार्ड भी सम्मिलित है, की व्यवस्था की जाना होगी। सुरक्षा गार्ड की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकेगी। ई.पी.एफ., ई.एस.आई., न्यूनतम वेतन अधिनियम, अन्य श्रम कानूनों व अन्य कानूनी व वैधानिक प्रावधानों का पालन करना निविदाकर्ता की जवाबदारी होगी । इस संबंध में आयोग की कोई जवाबदारी नही रहेगी। सुरक्षा गार्डो को समुचित प्रशिक्षित व अग्निशामक यंत्रों के उपयोग करने का ज्ञान होना चाहिए तथा 21 वर्ष से अधिक किन्तु 45 वर्ष से कम आयु के प्रशिक्षित कर्मचारियों, जो कि मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो व कम से कम आठवीं पास हो तथा हिन्दी में सुस्पष्ट वार्ता कर सके, को ही पदस्थ करना होगा।

02 अनिवार्य रूप से चाहे गए प्रपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न नही होने की स्थिति में निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी तथा निविदा शर्तो व प्रपत्रों के अनुरूप न होने पर अमान्य की जावेगी।

03 निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति मे निविदाकर्ता की धरोहर राशि निविदा आदेश जारी होने के 15 दिवस पश्चात् लौटाई जावेगी।

04 बाल श्रमिक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी रूप में कार्यरत कर्मचारियों की घटना/दुर्घटना होने पर इस कार्यालय की जवाबदेही नहीं होगी, संस्था इस हेतु जिम्मेदार रहेगी। कर्मचारी का ड्रेसकोड एवं पहचान पत्र संस्था द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य होगा।

05 ठेका कार्य हेतु वांछित पंजीयन आवश्यक होगा।

06 कम्पनी के संचालक द्वारा अथवा जिनके नाम से अनुज्ञप्ति जारी है अथवा जिनके नाम से पॉवर ऑफ अटर्नी हो उसी के नाम से निविदा भरी जावेगी।

07 समरत कर्मचारियों का पुलिस द्वारा सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होगा।

08 कार्य संतोषजनक नहीं होने एवं ठेके की शर्तो के उल्लंघन करने पर एक माह के नोटिस पर ठेका कार्य कभी भी समाप्त किया जा सकेगा।

09 आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी निविदा या उसके किसी अंश को या सम्पूर्ण निविदा प्रकिया को किसी भी स्थिति में बगैर कोई कारण बताये स्थगित या निरस्त कर सके।

10 सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रथम एक वर्ष तक उपलब्ध करायी गयी सेवा संतोषप्रद होने की स्थिति में ही निविदा अवधि की निरंतरता की स्वीकृति पूर्व में आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर एक–एक वर्ष के लिए अधिकतम 03 बार अथवा आगामी निविदा होने तक बढ़ा दी जायेगी । निविदा की शर्तें अनुबंध का अभिन्न अंग होगी। निविदा के नवीनीकरण की स्थिति में परफारमेंस गारंटी का नवीनीकरण किया जाना होगा।

11 निविदाकर्ता द्वारा लगाये गये कर्मचारियों में परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो इसकी सूचना आयोग को पूर्व में दी जाना अनिवार्य होगा।

12 नियमानुसार करों का कटौत्रा किया जावेगा।

13 कार्यालय द्वारा एक माह की सूचना पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा तथा निविदाकर्ता द्वारा दो माह पूर्व सूचना देने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

1.3 भुगतान प्रकिया :–

01. राशि का भुगतान संतोषप्रद कार्य के आधार पर मासिक आधार पर प्रतिमाह बिल प्रस्तुत करने पर सामान्य स्थितियों में 15–20 दिवस के अन्दर बजट उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा ।

02. किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा।

03. भुगतान ई–पेमेन्ट के माध्यम से किया जावेगा ।

04. भुगतान प्रक्रिया आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार की जावेगी।

1.4 दण्डात्मक निर्देश :–

संस्था आयोग परिसर अथवा आयोग के बंगला कार्यालयों की सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी होगी। किसी भी प्रकार की सम्पत्ति (चल/अचल) की हानि (सुरक्षा गार्ड या संस्था की लापरवाही के कारण) होने पर उक्त सम्पत्ति का मूल्य देयक से समायोजित किया जा सकेगा। आयोग संस्था की सुरक्षा निधि से भी इसकी भरपाई कर सकता है। निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र व अनुबंध में दर्शित शर्तो का उल्लंघन होने पर अथवा निर्धारित सेवाओं का प्रदाय न किये जाने पर अथवा सेवाऐं निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप न पाये जाने पर अथवा निविदाकर्ता द्वारा लगाये गये कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार, कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में पाये जाने पर अथवा आयोग के दिशा–निर्देशों का पालन न करने पर आयोग द्वारा निम्न कार्यवाही की जा सकेगी :–

a) निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र व अनुबंध में दर्शित शर्तो का उल्लंघन करने पर अथवा निविदाकर्ता द्वारा लगाये गये कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार, कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीता अथवा नशे की हालत में पाये जाने पर अथवा आयोग के दिशा–निर्देशो का पालन न करने पर रूपये 5,000/– तक आर्थिक दण्ड का अधिरोपण ।

b) वर्ष में 10 बार से अधिक दण्ड अधिरोपित किये जाने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जा सकेगी :–

1. अनुबंध निरस्त करना तथा परफारमेंस गारंटी राजसात करना।

2. ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही करना।

c) दण्ड और क्षतिपूर्ति की राशि देयको अथवा संबंधित द्वारा चालान/डी.डी. अथवा परफार्मेंस गारंटी की जमा राशि से काट ली जावेगी, परफार्मेस गारंटी की प्रतिपूर्ति 15 दिवस के अन्दर करना होगी।

d) सुरक्षा गार्ड की अन्य व्यवस्था किये जाने पर, जो भी भुगतान होगा, उतनी राशि देयक/परफारमेंस गारंटी से काटी जावेगी।

e) दण्ड अधिरोपण के पूर्व संस्थान को कारण बताओ नोटिस दिया जायेगा ।

1.5 निविदा चयन का आधार :-

न्यूनतम दरें निर्धारित करने का आधार वित्तीय प्रपत्र में सरल क्रमांक-06 में न्यूनतम राशि होगी। न्यूनतम वित्तीय निविदा मान्य की जावेगी।

1.6 पात्रता की शर्ते :-

01 श्रम विभाग द्वारा जारी ठेका श्रम अधिनियम के अन्तर्गत लायसेंस होना आवश्यक है।
02 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एक्साईज एण्ड कॅस्टम बोर्ड का सर्विस टैक्स पंजीयन होना आवश्यक है।
03 आयकर विभाग का संस्था का पेन नम्बर होना आवश्यक है।
04 चार्टर्ड अकाउंटेट द्वारा जारी वर्ष 2017-18 के पूर्व के 03 वर्षो का न्यूनतम रूपये 25 लाख वार्षिक का टर्नओव्हर हेतु आयकर विवरणी पत्रक तथा पुष्टि हेतु सी.ए. का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
05 गत वित्तीय वर्ष तक का आयकर अदेयता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
06 नगर निगम से वैध पंजीयन होना आवश्यक है।
07 आय.एस.ओ. का वैध सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।
08 शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों /स्वायत्तशासी उपक्रमों/ निजि संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था कार्य सफलतापूर्वक कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है ।
09 अनुभव प्रमाण पत्र के साथ-साथ उक्त संस्थानों से सम्पादित अनुबंध की प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
10 उक्त संस्थानों में से न्यूनतम 03 संस्थानों द्वारा जारी संतोषप्रद सेवा से संबंधित प्रमाण-पत्र निविदा प्रपत्र के संलग्न करना आवश्यक है।
11 निविदाकर्ता द्वारा संस्थान की पदमुद्रा सहित स्वसत्यापित प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियॉ ही संलग्न की जावे, अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
12 सभी दस्तावेज वैध होना आवश्यक है।

1.7 विवाद का निपटारा :-

01 विवाद की स्थिति में सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर का निर्णय अंतिम व बंधनकारी रहेगा व न्याय क्षेत्र इन्दौर होगा।
02. परिणामी संविदा की व्याख्या भारतीय कानून के तहत की जावेगी।

अवर सचिव,
म.प्र. लोक सेवा आयोग,
इन्दौर

चेक लिस्ट

स.क्र.	विवरण	संलग्न है या नहीं	पृष्ठ क्रमांक
01	निविदा प्रस्ताव–प्रथम लिफाफे में निम्नानुसार रखा जावें :– 1. निविदा शुल्क के रूप में राशि रूपये 500/– का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट। 2. धरोहर राशि रूपये 40,000/– का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट।		
02	निविदा प्रस्ताव–द्वितीय लिफाफा मे निम्नानुसार रखा जावें 1. संविदा प्रपत्र (निर्धारित प्रारूप में) प्रपत्र–1 2. निम्नानुसार प्रपत्र, प्रमाण पत्र व अभिलेख		
2.1	सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साईज एण्ड कॅस्टम बोर्ड का सर्विस टैक्स का वैध प्रमाण पत्र।		
2.2	श्रम विभाग द्वारा जारी ठेका श्रम अधिनियम के अन्तर्गत लायसेंस होना आवश्यक है।		
2.3	नगर निगम का पंजीयन		
2.4	एजेंसी का विवरण		
2.5	संबंधित संस्थान का पैन कार्ड की छायाप्रति।		
2.6	विगत तीन वर्षो (वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) की आयकर विवरणी की पावती जो आयकर विभाग द्वारा जारी की गई हो की छायाप्रति ।		
2.7	विगत तीन वर्षो (वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) की बैलेंसशीट।		
2.8	विगत तीन वर्षो (वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) के अंकेक्षित लेखों का संलग्न प्रारूप में सारांश जिसमें सुरक्षा व्यवस्था कार्य के न्यूनतम रूपये 25 लाख का टर्नओवर की राशि का प्रमाणीकरण चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा किया गया हो।		
2.9	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्तशासी उपक्रमों/निजी संस्थानो में सुरक्षा व्यवस्था कार्य सफलतापूर्वक करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है । इस विषयक अनुभव प्रमाण–पत्र एवं अभिलेख। प्रपत्र–2		
2.10	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्तशासी उपक्रमों/निजि संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था कार्य सफलतापूर्वक करने का संस्थानों से सम्पादित अनुबंधो की प्रति ।		
2.11	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्तशासी उपक्रमों/निजी संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था कार्य सफलतापूर्वक करने का न्यूनतम 03 संस्थानों का प्रमाण–पत्र ।		
2.12	हस्ताक्षरित शपथ पत्र, प्रपत्र–3		
2.13	अंकेक्षित लेखों का सारांश, प्रपत्र–4		

2.14	निविदाकार संस्था को स्वयं का घोषणा पत्र देना होगा कि फर्म को विगत 05 वर्षों में किसी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड एवं उसकी संस्था पर किसी प्रकार का न्यायालयीन वाद तो नहीं है। प्रपत्र–5		
03	निविदा प्रस्ताव–तृतीय लिफाफा (वित्तीय निविदा प्रपत्र–6)		

तकनीकी बिड प्रपत्र–1

(निविदाकर्ता अपने स्वयं के लेटर हेड पर निम्न प्रारूप में निविदा प्रपत्रों की शर्तों अनुसार प्रस्तुत करें)

01.	संस्था संचालक का नाम एवं पूरा पता :–	--
02.	संस्था का स्थापना वर्ष :–	--
03.	संस्था कहाँ से पंजीकृत है ? (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)	--
04.	संस्था का पंजीयन कमांक एवं दिनॉक तथा संस्था लायसेंस कमांक :–	-- --
05.	प्रतिदिन सुरक्षा गार्ड की सेवा की अवधि (समय) :–	--
06.	संस्था द्वारा कहॉ–कहॉ सेवायें दी जा रही है ? किन्हीं दो प्रतिष्ठित संस्थानों/ कार्यालयों के नाम एवं पते सहित वहॉ की सेवाओं का संतुष्टि प्रमाण पत्र संलग्न करें :–	--
07.	सुरक्षा निधि का विवरण :–	एफ.डी. कमांक :– -------------- दिनॉक :– -------------- बैंक शाखा का नाम :– -------------- -- एफ.डी. की अवधि :– --------------

टीप :– निविदा प्रपत्र के संलग्न प्रदाय की गई शर्तों का अनुपालन करने के लिए संस्था सहमत है।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर एवं पूरा नाम
पता सहित मोहर

नोट :– चेक लिस्ट के स.क. 2 से 2.14 तक सभी वैध अभिलेख, द्वितीय लिफाफे में तकनीकी निविदा में रखें ।

निविदाकार के कार्यानुभव का विवरण प्रपत्र – 2

क्र.	प्रतिष्ठित संस्था का नाम,पूरा पता,दूरभाष नं., फैक्स नं. (जहाँ निविदाकार ने कार्य किया हो)	अनुबंध में निर्धारित मासिक दर	अनुबंध की अवधि		
			दिनांक से dd/mm/yy	दिनांक तक dd/mm/yy	कुल अनुभव अवधि year
01	02	03	04	05	06
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

नोट :– 1. अतिरिक्त जानकारी हेतु अतिरिक्त प्रपत्र का उपयोग करें।
2. सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक :........................... नाम :...

स्थान :........................... पदमुद्रा :.......................................

प्रपत्र–3

शपथ पत्र का प्रारूप

(रू 10/– के गैर न्यायिक मुद्रांक/नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं ....पुत्र/पुत्री ....उम्र ....पता .... शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ कि :–

1. मैं निविदाकर्ता संस्था .... (फर्म/कम्पनी/समिति का नाम) का .... (एकल/स्वामी/साझेदार/संचालक/मैंनेजर/अधिकृत प्रतिनिधि) हूँ तथा यह संस्था वर्तमान में वैधानिक रूप से पंजीकृत है। जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता .... है।

2. मैंने निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ लिया है तथा उसमें वर्णित समस्त शर्तें मुझे तथा मेरी संस्था को मान्य है। मैंने सम्पूर्ण आयोग कार्यालय का निरिक्षण कर लिया है ।

3. निविदा में वर्णित सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिये मेरे/मेरी संस्था के पास समस्त आवश्यक वैधानिक अनुज्ञप्तियॉं पंजीकरण तथा स्वीकृतियॉं प्राप्त है।

4. मेरे/मेरी संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गई सभी जानकारी पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित है कि किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने पर मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त की जा सकती है तथा हमारे द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि एवं परफॉरमेंस गांरटी आयोग द्वारा जब्त की जा सकेगी।

शपथगृहीता

स्थान .... नाम ....

दिनांक........................ पता...................................

1. गवाह नाम पता..
2. गवाह नाम पता..

सत्यापन

मैं निविदाकर्ता.................................... (फर्म/कम्पनी/संस्था का नाम).. ..(एकल/स्वामी/साझेदार/संचालक/मैंनेजर/अधिकृत प्रतिनिधि) हूँ । मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित क्र. 1 से लेकर 4. तक किये गये कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य तथा प्रमाणित है।

शपथगृहीता

स्थान .... नाम ....

दिनांक........................ पता...................................

1. गवाह नाम पता..
2. गवाह नाम पता..

प्रपत्र –4

अंकेक्षित लेखों का सारांश (विगत तीन वर्षो का)

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स...पता............ ....के विगत तीन वर्षो के अंकेक्षित लेखों एवं आयकर विभाग को प्रस्तुत आयकर विवरणियों की जॉच मेरे द्वारा की गई है। अंकेक्षित लेखों के अनुसार निविदाकार का समान प्रकृति के कार्य का आवर्त (टर्नओवर) इस प्रकार है :–

क.	वर्ष	राशि (शब्दों में) रूपये में	राशि (अंको में) रूपये में
1	2016–17		
2	2015–16		
3	2014–15		

टीप :– शब्दों एवं अंको में राशि में अंतर होने पर शब्दों की राशि को प्रमाणिक माना जाएगा।

उपर्युक्त आवर्त की गणनाएं मेरे द्वारा स्वंय जांची गई है। जिसे मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर की निविदा शर्तो के अनुसार वांछित शर्त के रूप में मैं प्रमाणित करता हूँ।

दिनांक :.........................

चार्टर्ड लेखाकार का नाम :.......................

स्थान :..........................

फर्म की पदमुद्रा :.....................................

प्रपत्र –5

घोषणा पत्र

(ब्लैक लिस्ट एवं न्यायालयीन वाद नहीं होने के संबंध में)

मैं .... आत्मज ....

सुरक्षा व्यवस्था के अनुबंध के लिए आयोग में निविदाकार हूँ। मैं यह घोषित करता हूँ कि हमारी संस्था को विगत पांच वर्षों में किसी भी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है और ना किसी न्यायालय में संस्था के गठन या कार्यो के संबंध में कोई वाद लंबित नहीं है ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक :.......................... नाम :..

स्थान :.......................... पदमुद्रा :......................................

आयोग कार्यालय एवं बंगला कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था के अनुबंध हेतु वित्तीय निविदा

प्रपत्र–6

दर प्रति सुरक्षा गार्ड प्रतिमाह राशि (रूपये में)	

नोट :– दर समस्त करों सहित उल्लेखित की जावें एवं दरें कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होना चाहिए अन्यथा निविदा अमान्य की जावेगी।